

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-आ0मि0-119/96-आयुष-2-2020-127/2016, दिनांक 19 अक्टूबर 2020 एवं उ0प्र0 शासन आयुष अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-W-81/96-आयुष-2-2020-127/2016 आयुष अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 दिसम्बर 2020 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 के अन्तर्गत जनपद बांदा के लिये स्वीकृत 04 तथा राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 के अन्तर्गत 04 हेल्थ वेलनेस सेन्टर (HWC) हेतु कुल 04 योग प्रशिक्षक (पुरुष) अंशकालीन तथा 08 योग प्रशिक्षक (महिला) की नियुक्ति/आबद्धीकरण एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर शासनादेशानुसार गठित समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किया जाना है। पुरुष अंशकालीन प्रशिक्षक को प्रति सत्र न्यूनतम 01 घण्टे वाले 32 एवं महिला अंशकालीन प्रशिक्षक को प्रति सत्र न्यूनतम 01 घण्टे वाले 20 योग सत्र आयोजित करने होंगे। यह नियुक्ति 01 वर्ष या उससे कम अवधि के लिये है, यह योजना आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अतः अवधि का निर्धारण आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता
1	योग प्रशिक्षक (पुरुष) अंशकालीन	04	(ए)-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से साढ़े पाँच वर्षीय कोर्स बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस (बी0एन0वाईएस0) डिग्रीधारक को वरीयता दी जायेगी अथवा (बी)-बी0ए0 योग तीन वर्षीय डिग्री धारक/बी0एस0सी0(योग) तीन वर्षीय डिग्री धारक/एम0एस0सी0 योग /एम0ए0 योग डिग्री धारक जिनका एक वर्षीय अनुभव हो अथवा (सी)-पी0जी0 डिप्लोमा(न्यूनतम एक वर्षीय पाठ्यक्रम)डिप्लोमा धारक जिनका दो वर्षीय अनुभव हो अथवा (डी)-योग सर्टिफिकेशन बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा योग वेलनेस इन्सट्रक्टर प्रमाण पत्र धारक। अनुभव 01 वर्ष
2	योग प्रशिक्षक (महिला) अंशकालीन	08	

नोट- 1- हेल्थ वेलनेस सेन्टर में योग प्रशिक्षक पद हेतु स्थानीय निवासी को वरीयता दी जायेगी। 2- कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित डिग्री/पीजी0 डिप्लोमा के उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही मान्य होगा। 3-उ0प्र0 में अनु0 जाति/जनजाति/अन्य पि0व0 को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण का अनुपालन किया जायेगा।

1- योग प्रशिक्षक (पुरुष) अंशकालीन को रू 8000=00 (आठ हजार) एवं योग प्रशिक्षक (महिला) अंशकालीन को रू 5000=00 (पाँच हजार) एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक दिया जायेगा। 2- आवेदन दिनांक 02.01.2022 को अपरान्ह 05 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जिला पंचायत परिसर अलीगंज बांदा पिन कोड-210001 को प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, अभ्यर्थी के अर्ह एवं अनर्ह होने के सम्बन्ध में चयन समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। 3- साक्षात्कार हेतु अलग से सूचना दी जायेगी। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। 4- यह नियुक्ति आयुष स्वास्थ्य केंद्र (योग वेलनेस सेन्टर) कार्यान्वयन समिति बांदा के अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी,बांदा द्वारा बिना किसी नोटिस या बिना किसी कारण बताये किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 5- योग प्रशिक्षक (पुरुष) अंशकालीन /योग प्रशिक्षक (महिला) अंशकालीन हेतु न्यूनतम 21 वर्ष से अधिक अधिकतम 65 वर्ष तक किसी भी उम्र का हो सकता है। 6- एक पद के लिये एक ही आवेदन स्वीकार होगा। 7- प्रथम पद हेतु प्रथम आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा। 8- आवेदन पत्र के साथ पत्राचार हेतु लिफाफा 27 रू0 के डाक टिकट एवं पते के साथ संलग्न किया जाये। आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। 9- विज्ञप्ति से सम्बन्धित आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी banda. nic.in पर उपलब्ध है।

सदस्य सचिव /क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी  
बांदा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. विज्ञापन सं0-
2. आवेदित पद का नाम- .....
3. अभ्यर्थी का नाम-.....4. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम .....
5. स्थाई पता पिन कोड सहित-.....
6. पत्र व्यवहार का पता-.....7. मो0नं0.....
8. जन्म तिथि-.....
9. राष्ट्रीयता-.....10. जाति-.....11. निवास (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

पास पोर्ट साइज नवीनतम स्वयं हस्ताक्षरित फोटो

क्रम सं0	शैक्षिक योग्यता/उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/संस्था का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
----------	----------------------------------	---------------------	------	----------	------------	--------	---------

13. अनुभव का विवरण-

घोषणा

मैं..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त प्रमाण पत्र मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य व सही है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है यदि कोई तथ्य/विवरण असत्य पाया जाता है तो मेरा आवेदन/नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जाये और मेरे विरुद्ध कार्यवाही भी की जाय।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर